



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 28, सोमवार शाके 1931—जनवरी 18, 2010  
Pausa 28, Monday, Saka 1931—January<sup>18</sup>, 2010

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड—I

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानून नियम।  
संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 29, 2009

जी.एस.आर.77:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के परामर्श से, राजस्थान विधानसभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान)(संशोधन) नियम 2009 है।

(2) ये 21 जून, 2009 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

2. नियम 8 का हटाया जाना:— राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2009, जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप निर्दिष्ट किया गया है, का विद्यमान नियम 8 हटाया जायेगा।

3. नियम 9 का संशोधन:— उक्त नियमों के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

“9. विशेष वेतन:— विशेष वेतन, जो चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ आहरित किया जायेगा, की दरें इन नियमों से संलग्न अनुसूची-II में दी गयी है।”

4. अनुसूची-II का संशोधन:—उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में,—

(i) शीर्ष में, विद्यमान अभिव्यक्ति “विशेष-भत्ता” के स्थान पर अभिव्यक्ति “विशेष-भत्ता” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति “विशेष भत्ता” आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति “विशेष वेतन” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सख्या.एफ.12(6)संसद/2008]

राजपाल के आदेश से,

एस.एल.कोठारी,

शासन उप सचिव,

**PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Jaipur December 29, 2009

**G.S.R.77:-** In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor, after consultation with the Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, is hereby pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) Rules, 2009, namely:-

**1. Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat Staff (Revised pay) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1<sup>st</sup> day of June, 2009

**2. Deletion of rule 8:-** The existing rule 8 of the Rajasthan Legislative Assmebly Secretariat Staff (Revised pay) Rules, 2009 hereinafter referred as to the said rules, shall be deleted.

**3. Amendment of rule 9:-** The existing rule 9 of the said rules shall be substituted by following, namely:-

**“9 Special pay:-** The rates of Special pay, which shall be drawn with the Running Pay Band and Grade pay, are given in Schedule-II appended to these rules.”

**4. Amendment of Schedule-II:-** in Schedule-II appended to the said rules:-

(i) in heading, for the existing expression “SPECIAL ALLOWANCE”, the expression “SPECIAL PAY” shall be substituted.

(ii) for the existing expression “Special Allowance”, where ever occurring the expereession “Special Pay” shall be substituted.

[No.F12(6) Sansad/2008]

By order of the Governor,

एस.एस. कोठारी,

Principal Secreatry to the Government.